बुन्देलखण्ड क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था हेतु कार्ययोजना तैयार किये जाने के सम्बन्ध में विचार–विमर्श हेतु कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में दिनांक 29.04.2016 को आयोजित बैठक का कार्यवृत्त।

उपस्थिति

1. श्री दीपक त्रिवेदी, प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. श्रीमती वी0 हेकाली झिमोमी, सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. श्री अजय कुमार उपाध्याय, सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. श्री पी0एन0 त्रिपाठी, संयुक्त सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. श्री पी0के0 आसूदानी, प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
6. श्री चित्र कुमार त्यागी, मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
7. श्री आर0एम0 त्रिपाठी, अधीक्षण अभियन्ता (ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
8. डा0 महेश चन्द्र पाण्डेय, वित्तीय सलाहकार, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।

बुन्देलखण्ड क्षेत्र में सूखे के दृष्टिगत पेयजल संकट उत्पन्न होने एवं आसन्न पेयजल संकट समस्या के समाधान के सम्बन्ध में दिनांक 6.04.2016 को सम्पन्न बैठक में लिये गये निर्णय की प्रगति समीक्षा की गयी। बैठक में विचार विमर्श के उपरान्त निम्न निर्णय लिये गये :–

(क) बुन्देलखण्ड क्षेत्र में 3500 एवं इससे ऊपर की आबादी के ग्रामों, जहॉ पाइप पेयजल योजना नहीं है, उन ग्रामों में एन0आर0डी0डब्लू0पी0 के अन्तर्गत क्रियान्वित सोलर पम्प से संचालित 200 टी0टी0एस0पी0 से सम्बन्धित योजनाओं का निर्माण कार्य तत्काल पूर्ण कराने के दृष्टिगत यह निर्देश दिये गये कि समस्त 200 योजनाओं का निर्माण कार्य दिनांक 30 जून, 2016 तक प्रत्येक दशा में पूर्ण करा लिया जाय। उत्तर प्रदेश जल निगम इसके सम्बन्ध में साप्ताहिक प्रगति रिपोर्ट शासन को प्रस्तुत करेंगे जिसकी प्रत्येक सप्ताह समीक्षा की जायेगी।

(ख) निर्देश दिये गये कि बुन्देलखण्ड के जिन ग्रामीण अंचलों में टैंकर के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराये जा रहे हैं, उन ग्रामों में सर्वप्रथम सोलर पम्प से संचालित टी0टी0एस0पी0 योजना /नये इण्डिया मार्क–।। हैण्डपम्प एवं हैण्डपम्पों की रिबोरिंग में सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय।

(ग) यह अवगत कराया गया कि बुन्देलखण्ड क्षेत्र में कुल 137 पूर्णतः क्रियाशील एकल ग्राम पेयजल योजनाओं तथा 12 पूर्णतः क्रियाशील ग्राम समूह पेयजल योजनाओं को सम्बन्धित ग्राम पंचायतों एवं सम्बन्धित जल संस्थानों को दिनांक 31 मार्च, 2016 तक हस्तान्तरित किया जाना था। समीक्षा बैठक में यह पाया गया कि अभी तक मात्र 50 एकल ग्राम पेयजल योजनाओं एवं 04 ग्राम समूह पेयजल योजनाओं का ही हस्तान्तरण सम्बन्धित ग्राम पंचायतों / जल संस्थानों को किया गया है। इस सम्बन्ध में यह निर्देश हुए कि एकल ग्राम पेयजल योजनाओं को सम्बन्धित ग्राम पंचायतों एवं ग्राम समूह पेयजल योजनाओं को सम्बन्धित जल संस्थानों को पूर्व में निर्धारित तिथि तक हस्तान्तरित न कराये जाने हेतु उत्तर प्रदेश जल निगम के अधीन सम्बन्धित खण्ड के अधिशासी अभियन्ता, जनपद के सम्बन्धित जिला पंचायत अधिकारी तथा महाप्रबन्धक जल संस्थानों से स्पष्टीकरण इस सन्दर्भ में प्राप्त कर शासन को एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराने हेतु सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारियों को निर्देश दिये जांय।

(घ) यह संज्ञान में लाया गया कि उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा जिन पाइप पेयजल योजनाओं को हस्तगत कराया जाना है वह पूर्णतः क्रियाशील नहीं हैं। अतः पेयजल योजनाओं के संचालन एवं अनुरक्षण हेतु हस्तान्तरण की कार्यवाही ग्राम पंचायतों / जल संस्थानों को चेकलिस्ट बनाकर ही किये जांय।

(ड़) दिनांक 06.04.2016 को सम्पन्न बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में जल संस्थान, चित्रकूटधाम मण्डल, बॉदा द्वारा उनके द्वारा अनुरक्षित पाइप पेयजल योजनाओं के जीर्णोद्धार हेतु रू0 30.53 करोड़ की माइनर रिपेयर की कार्ययोजना एवं रू0 52.95 करोड़ की मेजर रिपेयर की

कार्ययोजना शासन को उपलब्ध करायी गयी है। इसी प्रकार जल संस्थान, झांसी मण्डल, झांसी उनके द्वारा अनुरक्षित पाइप पेयजल योजनाओं के जीर्णोद्धार हेतु रू0 20.46 करोड़ की माइनर रिपेयर की कार्ययोजना एवं रू0 41.46 करोड़ की मेजर रिपेयर की कार्ययोजना शासन को उपलब्ध करायी गयी है। विचार–विमर्श के उपरान्त यह निर्देश दिये गये कि जल संस्थान द्वारा उपलब्ध करायी गयी उक्त कार्ययोजना के सापेक्ष अल्पकालिक कार्ययोजना का सम्यक परीक्षणोपरान्त अपेक्षित धनराशि अवमुक्त करा दी जाय।

(च) उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा उनके द्वारा वर्ष 1984 से 2014 के मध्य ग्रामीण पेयजल योजनाओं के अन्तर्गत निर्मित पाइप पेयजल योजनाओं के जीर्णोद्धार की कुल रू0 166.91 करोड़ की कार्ययोजना उपलब्ध करायी गयी। समिति के संज्ञान में यह लाया गया कि ये योजनायें चूँकि वर्ष 2014 तक की हैं एवं अभी कार्यकारी नहीं हैं। अतः इन योजनाओं को स्वीकृत करने से डुप्लीकेशी की सम्भावना हो सकती है। प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम द्वारा यह सुझाव दिया गया कि उनकी अध्यक्षता में गठित तकनीकी समिति/ एस0टी0ए0 से इसका परीक्षण करा लिया जाय।

चूँकि प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम की अध्यक्षता में गठित तकनीकी समिति राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के कियान्वयन हेतु गठित है एवं बुन्देलखण्ड की पेयजल समस्या के समाधान हेतु वर्ष 2016–17 में प्राविधानित धनराशि राज्य सेक्टर की योजना है, ऐसी स्थिति में योजनाओं के डी0पी0आर0 का परीक्षण वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 22 मार्च, 2016 में प्राविधानित व्यवस्था के अनुसार यथा आवश्यक प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग (पी0एफ0ए0डी0), व्यय वित्त समिति से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करते हुए ही वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने की व्यवस्था है। अतः निर्देश दिये गये कि तद्नुसार निर्धारित व्यवस्था के अन्तर्गत कार्यवाही कर ली जाय।

(छ) उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा समिति को यह भी अवगत कराया गया कि बुन्देलखण्ड के 07 जनपदों में कुल 43 निर्माणाधीन पाइप पेयजल योजनाओं में से 16 पेयजल योजनाओं को पूर्ण कर संचालित कर दिया गया है। यह निर्देश दिये गये कि इन पूर्ण योजनाओं को सम्बन्धित ग्राम पंचायतों / जल संस्थानों को हस्तगत कराये जाने के सम्बन्ध में आगामी बैठक में अवगत कराया जाय। उक्त के अतिरिक्त अवशेष निर्माणाधीन पेयजल योजनाओं में से मई/ जून–2016 में पूर्ण की जाने वाली योजनाओं का विवरण भी आगामी साप्ताहिक बैठक में प्रस्तुत किया जाय।

(ज) समिति के समक्ष यह तथ्य संज्ञान में लाया गया कि बुन्देलखण्ड की पेयजल समस्या के त्वरित समाधान हेतु कुल 3527 हैण्डपम्प की रिबोरिंग त्वरित आर्थिक विकास योजनान्तर्गत कराये जाने हेतु अनुमोदित लागत रू0 2085.40 लाख के सापेक्ष समस्त धनराशि सम्बन्धित जिलाधिकारियों को अवमुक्त की जा चुकी है। निर्देश दिये गये कि त्वरित आर्थिक विकास योजना के अन्तर्गत स्वीकृत कुल 3527 हैण्डपम्पों के सापेक्ष हैण्डपम्पों की रिबोरिंग का कार्य प्रत्येक दशा में दिनांक 31 मई, 2016 तक पूर्ण करा लिया जाय। इसी प्रकार बुन्देलखण्ड क्षेत्र की पेयजल समस्या के समाधान हेतु स्वीकृत कुल 5786 नये हैण्डपम्पों का भी अधिष्ठापन माह जून, 2016 के पूर्व किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। यह भी निर्देश दिये गये कि सम्बन्धित जिलाधिकारियों को यह निर्देश दे दिये जांय कि 5786 नये एवं 3527 रिबोर हैण्डपम्पों को अधिष्ठापित कराये जाने हेतु स्थल चयन से सम्बन्धित अनुमोदित सूची कार्यदायी संस्था को तत्काल उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दे दिये जांय।

(झ) बुन्देलखण्ड क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति के समान प्रदेश के सोनभद्र, मीरजापुर, इलाहाबाद, चन्दौली एवं फतेहपुर की पेयजल समस्या के समाधान हेतु केन्द्र पोषित राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत उपलब्ध धनराशि में फ्लेक्सी फण्ड में प्राविधानित 10 प्रतिशत धनराशि इस कार्य हेतु आरक्षित कर दिये जांय जिसमें से प्रथम चरण में जनपद सोनभद्र एवं मीरजापुर हेतु

- - - - 3 -

5–5 करोड़, इलाहाबाद एवं फतेहपुर हेतु 2.5–2.5 करोड़ एवं चन्दौली जनपद हेतु रू0 2 करोड़ की धनराशि से इण्डिया मार्क–।। हैण्डपम्प लगाये जाने हेतु अपेक्षित परियोजना प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने के निर्देश उ0प्र0 जल निगम को दिये गये ।

(ञ) मा0 सदस्य विधान सभा / विधान परिषद के प्रस्तावों पर 100 नये एवं 100 रिबोर हैण्डपम्पों को अधिष्ठापित कराये जाने के निर्णय के दृष्टिगत यह निर्देश दिये गये कि ग्रीष्म ऋतु में पेयजल समस्या के समाधान हेतु बुन्देलखण्ड क्षेत्र के अतिरिक्त सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में उपरोक्तानुसार अनुमोदित सूची दिनांक 09 मई, 2016 तक कार्यदायी संस्थाओं को तत्काल उपलब्ध कराये जाने के निर्देश सभी जिलाधिकारियों को दे दिये जांय।

बैठक सधन्यवाद सम्पन्न हुई।

3/5/16
(दीपक त्रिवेदी)
प्रमुख सचिव

उत्तर प्रदेश शासन,
ग्राम्य विकास विभाग,
संख्याः 421 /अड़तीस–5–2016
लखनऊः दिनांक 03 मई 2016

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. स्टाफ ऑफीसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
2. प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. प्रबन्ध निदेशक / मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण), उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ।
5. अधिशासी निदेशक,राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
6. आयुक्त, चित्रकूटधाम मण्डल /झांसी मण्डल।
7. जिलाधिकारी, जालौन, झांसी, ललितपुर, बांदा, महोबा, चित्रकूट एवं हमीरपुर।
8. महाप्रबन्धक जल संस्थान झांसी/ बांदा।
9. निदेशक, पंचायती राज, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
10. बैठक में उपस्थित समस्त अधिकारीगण।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(पी0एन0 त्रिपाठी)
संयुक्त सचिव।